न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का परबतसर

बनाम

अप्रार्थी :– श्रीमती किरणदेवी पत्नी आईदानराम जाति रेगर निवासी परबतसर अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः–30.12.2019

प्रकरण संख्या 33/19

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का परबतसर ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2076 में सरहद परबतसर के ख.न 2133 रकबा 0.0450 है भूमि किस्म गै.मु.नदी में अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। जो अप्रार्थी स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ। जो शामिल पत्रावली किया गया।

आज दिनांक 30.12.2019 अप्रार्थी अनुपस्थित रहे। पटवारी रिपोर्टानुसार अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदख़ल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 02 रूपये प्रति हैक्टेयर से की दर से अतिक्रमित रकबा 0.0450 है. भूमि के 0.09 रूपये लगान का 50 गुणा 05/– अक्षरे पांच रूपये बतौर जुर्माना कायम किया जाता है। जुर्माना राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर एंव भू.अ.निरीक्षक परबतसर को वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का परबतसर को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

तहसीलदार परबतसर

तहसीलदार परबतसर

पंजिका नं. वर्ष 2019-20 के पृष्ठ सं. 01
पर आ0 क्र0 05/- रु0 की
मांग दर्ज की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार

Scanned by CamScanner